



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 को धारा 14 व 15 के अन्तर्गत ही आती है, किन्तु अर्थात् यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी इकाई या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी का लोई असार पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकत या स्वामित्व के अधिकारों के विरोद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति ही जाती है कि श्रीमती / श्री प्रद्युम्ना द्विवेदी एवं श्री

बुलाहाटी व्याल पिता /पति का नाम श्री शशी ताराचन्द्र
 मध्यरप्ति - १०२।। ११७९ एक्ट पुस्तक क्रमांक ५३३ शक्तिवाल अ
 मास बुलाहाटी व्याल

में नहरे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विनित भवन चिह्न के अनुसार निर्माण आयोग सुन निर्माण करें।



२६।। ४।। २०१।।
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
 इलाहाबाद
 व०१२

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पौंछ वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानदिग्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिराका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सहित विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होती तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा 3क्रमा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संत्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति-पत्र में सहक, गली या नाली पर बढ़ा कर प्राजेवान जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर रो नये निर्माण की रखीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3. मकान निर्माण से यदि नाली के साइक वी पटरी अथवा राङक या नाली के विक्री भाग (जो मकान के अगाहे पिऊवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के अंतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से जर्मत छरकर पूरवत अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।

4. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इपिड्बा इलेक्ट्रिसिटी रास्त 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाना सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा ऊत तक बन जाने द्वं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6. यदि निर्माण में मास्टर लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को वी गई रुक्तिरुद्ध रामजी आयेगी और किया गया निर्माण अनियकृत घोषित कर उत्तर अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यगाही आरम्भ की जायेगी।

